

109

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



उम्र-54 वर्ष निग - 1848 - II - 16

सुखलाल उर्फ सुख्खा यादव तनय स्व. जमुना यादव, निवासी ग्राम
करहिया जिला- रीवा म. प्र. —आवेदक

बनाम

1. बृजवासी यादव तनय स्व. जमुना यादव उम्र 70 वर्ष
2. मुनुआयादव तनय श्री स्व. जमुना यादव उम्र 62 वर्ष
3. रामखेलावन तनय रामाधीन मल्लाह उम्र 70 वर्ष,

तीनों निवासी गण ग्राम करहिया, तह. हुजूर, जिला- रीवा म. प्र.

—अनावेदक गण

श्री सुखलाल यादव (अपि)
द्वारा आज दि. 08/6/18 को
पेश

[Handwritten signature]
08/6/18

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तह. हुजूर,
के प्रकरण क्रमांक 581 अ 6 अ/15-16 में
पारित आदेश दिनांक 11.5.2016

अंतर्गत धारा 50 (1) म. प्र. भू-रा. सं. 1968

प्रकरण के तथ्य

यह कि आ. नं. 389 क कुल रकबा 0.87 ए. यानी 0.352 जो वर्तमान में
आ. नं. 389/1 रकबा 0.297 हे. है, तथा आ. नं. 400 पटवारी हल्का
करहिया तह. हुजूर, जिला- रीवा म. प्र. आवेदक निगरानीकर्ता एवं
अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की पुस्तैनी भूमि है, जिसमें आवेदक का 3/5


[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1848-दो/16

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार हुजूर के प्रकरण क्र. 581/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	

